परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

पत्रांक-2166एमटी / 19–146एमटी / 13 दिनांक 18 जुलाई, 2019

1–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।
2–समस्त सेवा प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।
3– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो),
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः– लम्बी दूरी की वाहनों के तकनीकी निरीक्षण की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

परिवहन निगम की बसो के स्वस्थ संचालन को सुनिश्चित करने हेतु बसों की आउटसेडिंग के समय बस की स्वस्थता की जाँच आवश्यक है। इस हेतु प्रत्येक कार्यशाला में लम्बी दूरी (300 किमी0 से अधिक) के मार्ग पर संचालन के लिए बस उपलब्ध कराने से पूर्व बस की निम्नलिखित जाँच की जानी आवश्यक है।

1. बस पर दो चालक मार्ग पर भेजे जाने हेतु तैनात हो।
2. स्पीड लिमिट डिवाइस कार्यरत हो।
3. वी0टी0एस0 कार्यरत हो।
4. बस में वैध अग्निश्मन यन्त्र उपलब्ध हो।
5. बस की आर0आई0 फिटनेस वैध हो।
6. बस का स्टेयरिंग एवं ब्रेक सही कार्य कर रहे हो।
7. बस के समस्त टायर की स्थिति ठीक हो।
8. बस की हेड लाईट ब्रेक लाईट, बैक लाईट एवं वाईपर कार्यरत हो।
9. बस में समस्त शीशे लगे हो।
10. बस सेल्फ स्टार्ट हो।
11. वाहनों की धुलाई एवं सफाई की स्थिति अच्छी हो।

डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक / सीनियर फोरमैन / केन्द्र प्रभारी बसों के उक्त निरीक्षण का रिकार्ड एक रजिस्टर में रखना सुनिश्चित करेंगे जिसमे गुप प्रभारी एवं केन्द्र प्रभारी संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करेंगे। उनके द्वारा ओके किये जाने एवं सम्बन्धित के हस्ताक्षर होने के बाद ही वाहन मार्ग पर संचालन हेतु जायेंगी। उपरोक्त बसों की आउटसेडिंग का रिकार्ड डिपो में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के पास रहेगा।

सभी अधिकारी उपरोक्त निर्देशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(डा0 राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष महोदय निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. निजी सचिव, अपर प्रबन्ध निदेशक निगम मुख्यालय लखनऊ।
3. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रावि0 / संचा0), निगम मुख्यालय लखनऊ।
4. समस्त प्रधान प्रबन्धक, निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5. समस्त, नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

(डा0 राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

क्षेत्र का नाम	पुनः सर्वे कराने की अन्तिम तिथि	वाहन स्वामी को नोटिस निर्गत करने की अन्तिम तिथि	वाहन के निरीक्षण की अन्तिम तिथि
आजमगढ़, चित्रकूट, देवीपाटन, अयोध्या, झाँसी, कानपुर, इटावा,	12.09.2019	13.09.2019	13.10.2019
आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, वाराणसी,	16.09.2019	17.09.2019	17.10.2019
सहारनपुर, बरेली	19.09.2019	21.09.2019	21.10.2019
गाजियाबाद, मुरादाबाद, हरदोई, गोरखपुर	21.09.2019	24.09.2019	24.10.2019
मेरठ, लखनऊ	23.09.2019	26.09.2019	26.10.2019

वाहन स्वामी को कार्य कराने के उपरान्त निरीक्षण हेतु नोटिस में निर्धारित की गयी अन्तिम तिथि को यदि वाहन स्वामी बस को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका अनुबन्ध समाप्त करने की नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित कर सूचना विलम्बतः निरीक्षण के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि के 02 दिवस पश्चात् मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन) को उपलब्ध करा दी जाये एवं अद्यावधिक स्थिति से अवगत कराने हेतु मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रावि0/संचा0) को साप्ताहिक प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का समय से अनुपालन न किया जाना, अनुशासनहीनता मानते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

(डा0 राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रावि0/संचा0), निगम मुख्यालय लखनऊ।
3. समस्त, नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो) उ0प्र0 परिवहन निगम।

(डा0 राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक